Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 23-2026/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2026 (MAGHA 22, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 फरवरी, 2026

संख्या 22/39/2021–3टी(I).– मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम 59) की धारा 96 की उप–धारा (2) के खण्ड (xxxiii) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 22/39/2021–3टी(1), दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा मोटर यान (संशोधन) नियम, 2026 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 में, नियम 67क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"67क. विभिन्न किस्म के परमिटों के अधीन विभिन्न किस्म के परिवहन वाहनों के संचालन हेतु आयु.– हरियाणा राज्य के विभिन्न किस्म के परमिटों के अधीन विभिन्न किस्म के परिवहन वाहनों के संचालन के लिए आयु निम्नानुसार होगी:–

परिवहन वाहन

क्रम संख्या	परमिट की किस्म	अनुमत परमिट के अधीन संचालन के लिए वाहन के प्रथम पंजीकरण की तिथि से अधिकतम आयु	
		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	गैर– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
1	2	3	4
(क)	अखिल भारतीय पर्यटक परमिट	पैट्रोल/सीएनजी वाहनों के मामले में 12 वर्ष	पैट्रोल/सीएनजी वाहनों के मामले में 12 वर्ष
(ख)	अखिल भारतीय पर्यटक परमिट	डीजल वाहनों के मामले में 10 वर्ष	डीजल वाहनों के मामले में 12 वर्ष

(ग)	स्टेज कैरिज, अनुबंध कैरिज, माल कैरिज, स्कूल बस सहित अन्य सभी परमिट	पैट्रोल/सीएनजी/इलैक्ट्रिक/स्वच्छ ईंधन वाहनों के मामले में 15 वर्ष, डीजल वाहनों के मामले में 10 वर्ष	15 वर्ष।"

डा0 राजा शेखर वुंडरू,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 11th February, 2026

No. 22/39/2021-3T(I).— In exercise of the powers conferred by clause (xxxiii) of sub section (2) of section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) and with reference to Haryana Government, Transport Department, Notification 22/39/2021-3T(I), dated the 11th December, 2025, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Motor Vehicle Rules, 1993, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2026.

2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, for rule 67A, the following rule shall be substituted, namely:-

"67A. Age for operational various type of transport vehicles under various type of permit.– The age for operation of various type of transport vehicles under various type of permits in the State of Haryana, shall be as under :-

Transport Vehicles

Serial. Number.	Type of Permit	Maximum age of vehicle under permit allowed to operate from the date of first registration of the vehicle.	
		National Capital Region area	Non-National Capital Region Area
1	2	3	4
(a)	All India Tourist permit	12 years in case of petrol/CNG Vehicles	12 years in case of petrol/CNG vehicles
(b)	All India Tourist Permit	10 years in case of diesel vehicles	12 years in case of diesel vehicles
(c)	All other permits including stage carriage, contract carriage, Goods carriage, school buses	15 years in case of Petrol/CNG/ electric/Clean fuel vehicles, 10 years in case of diesel vehicle	15 years".

DR. RAJA SEKHAR VUNDRU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Transport Department.

12406—C.S.—H.G.P., Pkl.